

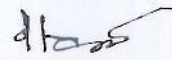
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.4(ई)/(आर-96/2008)/अलेसे -III/65/0-11

दिनांक :- 7.10.14

आदेश

श्री सुरेश चन्द मीना, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, राजसंमद को उनके आवेदन पत्र एवं कोषाधिकारी, राजसंमद द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में दिनांक 01.06.2014 से 30.06.2014 तक कुल 30 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

भवदीय



(भास्कर शर्मा)

निदेशक

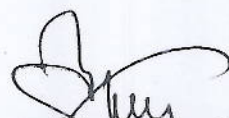
क्रमांक एफ.4(ई)/(आर-96/2008)/अलेसे -III/65/0-11

दिनांक :- 7.10.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, राजसंमद को श्रीमती सुनीता मीणा, श्री सुरेश चन्द मीना, कनिष्ठ लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री सुरेश चन्द मीना, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, राजसंमद को सूचनार्थ प्रेषित है।

3. उप निदेशक (कार्यालय लेखाकार)



(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)